FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज.)

दिनांक 13.08.2022 (शनिवार)

लोक अदालत बैंच न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी

मिसल नम्बरः–128 / 2021

किस्म प्रार्थना–पत्रः– अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

मणी देवी पत्नि स्व. प्रभातीलाल जाति मेघवाल निवासी कुरण्ड तह. खेतड़ी व अन्य

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ.)खेतड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.22	आज यह पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत ताल्लुका खेतड़ी न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश खेतड़ी के समक्ष पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट क्रमांक 265 दिनांक 07.06.2022 के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। –:आदेश:– अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाके राजस्व ग्राम **कुरन्ड** तहसील खेतड़ी स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 हाल खाता संख्या 33, 91, 93 में दर्ज वर्तमान प्रविष्टि मणी देवी पत्नि भाताराम के स्थान पर **मणी देवी पत्नि प्रभातीलाल,** मूलाराम पुत्र भाताराम के स्थान पर **मूलाराम पुत्र प्रभातीलाल,** राजबाला पुत्री भाताराम के स्थान पर **राजबाला पुत्री प्रभातीलाल,** रामजीलाल पुत्र भाताराम के स्थान पर **रामजीलाल पुत्र प्रभातीलाल,** रामेश्वरलाल पुत्र भाताराम के स्थान पर **रामेश्वरलाल पुत्र प्रभातीलाल** व लालचन्द पुत्र भाताराम के स्थान पर **लालचन्द पुत्र प्रभातीलाल** दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगीं। भूमि पर रहन यदि कोई हो तो, रहन मुक्त होने पर ही आदेश की पालना हो। उक्तानुसार पालना हेतु तहसीलदार (भू.अ.) खेतड़ी को आदेश की प्रति सहित तहरीर जारी हो। पत्रावली [illegible] होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील [illegible] दफतर हो। आदेश आज राष्ट्रीय लोक [illegible] खेतड़ी कैम्प कोर्ट खेतड़ी में दिनांक 13.08.2022 [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 12:22:26 IST
Reason: SelfAttested

(संजय सुरोलिया) सदस्य अधिवक्ता	(जय सिंह) RAS सदस्य उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी	(सुश्री श्वेता शर्मा) अध्यक्ष अपर जिला एवं सेशन अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी